



2026:AHC: 160899

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 12136/2024

वसीम और 2 अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: बृजेश कुमार, प्रवीण कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: दिनेश मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

- अपीलार्थियों/आवेदकों की ओर से आज न्यायालय में दाखिल पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
- अपीलार्थियों/आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
- वर्तमान आपराधिक अपील अपीलार्थियों द्वारा विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, कौशाम्बी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 355 वर्ष 2023 (राज्य बनाम वसीम और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 394 वर्ष 2023, धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(एस), 3(2)(व), थाना-सराय अकील, जिला-कौशाम्बी से उत्पन्न हुआ है, में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 1.12.2023 को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों/आवेदकों को तलब किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत आरोप पूरी तरह से कायम रखने योग्य नहीं हैं, क्योंकि न तो एफ.आई.आर. और न ही विवेचना के दौरान दर्ज किए गए बयान यह खुलासा करते हैं कि कथित जाति-संबंधित शब्द का उच्चारण इस आशय से किया गया था कि सूचनादाता को केवल इस आधार पर जानबूझकर अपमानित या तिरस्कृत किया जाए कि वह एससी/एसटी वर्ग से संबंधित है। यह आगे तर्क दिया गया है कि विवाद वाहन पार्क करने को लेकर उत्पन्न हुआ था और प्रकृति में विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत है। इसलिए, एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत अपराध के आवश्यक तत्व अनुपस्थित हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि मारपीट के आरोप को पुष्ट करने के लिए कोई चिकित्सीय या चोट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, और इस प्रकार अपीलार्थियों को झूठा फंसाया गया है। तदनुसार, यह प्रार्थना की गई है कि आक्षेपित तलब करने के आदेश को अपास्त किया जाए और अपील स्वीकार की जाए।

5. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान ए.जी.ए. ने अपील का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि एफ.आई.आर. के साथ-साथ विवेचना के दौरान दर्ज किए गए सूचनादाता के बयान में विशेष रूप से यह खुलासा किया गया है कि अपीलार्थियों ने सूचनादाता के साथ मारपीट की और जाति-संबंधित शब्द "चमार" का उपयोग किया, जो प्रथम दृष्टया एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक अपराध का गठन करता है। यह आगे तर्क दिया गया है कि, तलब करने के स्तर पर, न्यायालय को केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है न कि साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन करने किया। यह भी तर्क दिया गया है कि चिकित्सीय या चोट रिपोर्ट का प्रस्तुत न किया जाना अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं है, विशेष रूप से धारा 323 भा.द.सं. के अपराध के संबंध में, और आक्षेपित आदेश अभिलेख पर उपलब्ध पर्याप्त सामग्री के आधार पर पारित किया गया है। तदनुसार, यह प्रार्थना की गई है कि अपील, गुण-दोष से रहित होने के कारण, खारिज की जाए।

6. एफ.आई.आर. में आरोप यह है कि 13.07.2023 को रात लगभग 8:00 बजे वाहन पार्क करने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। यह भी आरोप है कि, उसी दिन, अभियुक्त-अपीलार्थी सूचनादाता के घर पहुंचे, उसके साथ मारपीट की, और जाति-संबंधित शब्द "चमार" का उपयोग करके उसके साथ गाली-गलौज की। सूचनादाता ने विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज अपने बयान में उसी आरोप

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को दोहराया। हालांकि, केस डायरी और विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के परिशीलन पर, ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य या विधिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो प्रथम दृष्टया यह स्थापित कर सके कि कथित जाति-संबंधित अभिव्यक्ति का उपयोग पीड़ित को केवल इस आधार पर जानबूझकर अपमानित या तिरस्कृत करने के आशय से किया गया था कि वह एससी/एसटी वर्ग से संबंधित है, जिससे एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधान आकर्षित हों। जहां तक मारपीट के आरोप का संबंध है, यद्यपि कोई चिकित्सीय या चोट रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं लाई गई है, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धारा 323 भा.द.सं. के अंतर्गत तलब करने के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक मामले में चिकित्सीय या चोट रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण अपरिहार्य नहीं है, यदि अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्री प्रथम दृष्टया अपराध के किए जाने का खुलासा करती है।

7. अभियुक्त अपीलार्थियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस) के अंतर्गत तलब करने के प्रयोजन के लिए, यह आवश्यक है कि घटना "सार्वजनिक दृष्टि" में हुई हो। अभियोजन पक्ष को प्रथम दृष्टया यह दिखाना होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस) के अंतर्गत अपराध "सार्वजनिक दृष्टि" के भीतर वाले स्थान पर किया गया है। अभियोजन पक्ष ने 'सार्वजनिक दृष्टि' और केवल इस आधार पर कि पीड़ित एससी/एसटी वर्ग से संबंधित है, जानबूझकर अपमान/प्रताड़ना के किसी भी साक्ष्य को इंगित नहीं किया है।

8. **स्वर्ण सिंह बनाम राज्य (2008) 8 एस.सी.सी. 435** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "सार्वजनिक स्थान" और "सार्वजनिक दृष्टि के भीतर कोई स्थान" के भावों के बीच स्पष्ट अंतर किया है। यदि घटना जनता के सदस्यों को दिखाई देती है तो एक निजी स्थान भी सार्वजनिक दृष्टि के भीतर का स्थान हो सकता है। इसके विपरीत, केवल इसलिए कि कोई घटना किसी सार्वजनिक भवन में होती है, वह स्वतः ही आवश्यकता को पूरा नहीं करती यदि वह सार्वजनिक दृष्टि के भीतर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "चमार" जैसे शब्द, यद्यपि मूल रूप से एक जाति को दर्शाते हैं, यदि अनुसूचित जाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से जातिवादी गाली के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वे एक अपराध की कोटि में आ सकते हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शब्दों को उनके लोकप्रिय और सामाजिक अर्थ में समझा जाना चाहिए, न कि केवल उनके व्युत्पत्तिशास्त्रीय अर्थ में। धारा 3(1)(एक्स) (अब धारा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3(1)(आर) और 3(1)(एस)) को आकर्षित करने के लिए, जानबूझकर अपमान या अभित्रास होना चाहिए; और पीड़ित को अपमानित करने का आशय होना चाहिए क्योंकि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अधिनियम द्वारा परिकल्पित अपेक्षित आशय के बिना, केवल गाली-गलौज या झगड़ा अपर्याप्त है। न्यायालय ने दोहराया कि आपराधिक कार्यवाही केवल वहीं जारी रहनी चाहिए जहां आरोप किसी विशेष अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा करते हों। कार्यवाहियां वहां रद्द की जा सकती हैं जहां एफ.आई.आर. किसी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है।

9. गोरिंगे पेंटैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 2009 क्रि.एल.जे.350 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "जब शिकायत में अपराध के मूल तत्व गायब हों, तो ऐसी शिकायत को जारी रहने की अनुमति देना और अपीलार्थी को आपराधिक विचारण की लंबी और जटिल प्रक्रिया का सामना करने के लिए विवश करना पूरी तरह से अनुचित होगा जिससे विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।" हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020) 10 एस.सी.सी. 710 के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'स्वतंत्र सार्वजनिक गवाहों की उपस्थिति के बिना भूमि के कब्जे को लेकर परिवादी के निजी घर के अंदर उत्पन्न विवाद, धारा 3(1)(आर) की वैधानिक सीमा को पूरा नहीं करता है।'

10. शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य और एक अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2249 के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हितेश वर्मा (उपरोक्त) के वादों को उद्धृत करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"13. अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से जानबूझकर किए गए अपमान और अभित्रास के तत्व को इंगित करेगा। किसी व्यक्ति का सभी अपमान या अभित्रास अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं होगा जब तक कि ऐसा अपमान या अभित्रास पीड़ित के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के कारण न हो। अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है क्योंकि उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। इस प्रकार, अधिनियम के अंतर्गत अपराध तब बनेगा जब समाज के कमजोर वर्ग के किसी सदस्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को अपमान, प्रताड़ना और उत्पीड़न का शिकार होना पड़े। किसी भी पक्ष द्वारा भूमि पर स्वामित्व का दावा न तो अपमान, प्रताड़ना और न ही उत्पीड़न के कारण है। प्रत्येक नागरिक को विधि के अनुसार अपने उपचारों का लाभ उठाने का अधिकार है। इसलिए, यदि अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों ने सिविल न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान किया है, या कि प्रत्यर्थी 2 ने सिविल न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान किया है, तो पक्ष विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने उपचारों का लाभ उठा रहे हैं। ऐसी कार्रवाई इस कारण से नहीं है कि प्रत्यर्थी 2 अनुसूचित जाति का सदस्य है।"

खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2020) 18 एस.सी.सी. 763 में:

"15. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध ऐसा होना चाहिए जो अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत अपराध को आकर्षित करे। अपराध व्यक्ति के विरुद्ध इस आधार पर किया गया होना चाहिए कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिद्धांत यह है कि 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं होता है कि परिवादी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जब तक कि ऐसे सदस्य को इस कारण से अपमानित करने का आशय न हो कि वह ऐसे समुदाय से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, 1989 के अधिनियम का यह तात्पर्य नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जानबूझकर किया गया अपमान या अभिवास का प्रत्येक कृत्य 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) को केवल इसलिए आकर्षित करेगा क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इसके विपरीत, 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) वहां आकर्षित होती है जहां जानबूझकर किए गए अपमान या अभिवास का कारण यह है कि जिस व्यक्ति को इसका शिकार बनाया जाता है वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि 1989 के अधिनियम के अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य उन अपराधों की सजा



के लिए कठोर प्रावधान प्रदान करना था जो एससी/एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को उनकी जाति की स्थिति के कारण लक्षित किए जाते हैं।"

11. तदनुसार, प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस) के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले प्रथम दृष्टया मामले का भी खुलासा करने में विफल रहा है। जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री यह इंगित नहीं करती है कि कथित शब्द या आचरण सूचनादाता की जाति से प्रेरित थे या सूचनादाता के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के आधार पर जानबूझकर उसका अपमान करने या उसे प्रताड़ित करने के आशय से किए गए थे। यह स्थापित करने के लिए भी किसी सामग्री का अभाव है कि कथित घटना "सार्वजनिक दृष्टि" के भीतर किसी स्थान पर हुई थी, जो कि उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, जैसा कि **स्वर्ण सिंह (उपरोक्त)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है और **हितेश वर्मा तथा शाजन स्कारिया (उपरोक्त)** में इसकी आगे पुष्टि की गई है।

12. ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस) के अंतर्गत अपराधों का गठन करने वाले आवश्यक तत्व विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं, और उक्त अपराधों के लिए कार्यवाहियों को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। परिणामस्वरूप, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14-ए के अंतर्गत अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है।

13. विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, कौशाम्बी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 355 वर्ष 2023 (राज्य बनाम वसीम और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 394 वर्ष 2023, धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), थाना-सराय अकील, जिला-कौशाम्बी से उत्पन्न हुआ है, में पारित आदेश दिनांक 1.12.2023 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि अपीलार्थियों को एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(s) और 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों से उन्मोचित किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. फिर भी, चूंकि धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए इसके संबंध में अभियोजन विधि के अनुसार जारी रहेगा और शीघ्रता से संपन्न किया जाएगा। विचारण न्यायालय वाद के गुण-दोष पर यहां की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ेगा।

15. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से संबंधित न्यायालय को फैक्स/ई-मेल द्वारा इस आदेश की एक प्रति तामील कराएं।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

3 अगस्त, 2026

आर.ए.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”